बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
संकल्प

06/पणन (स.)–07/2014

विषय : कृषि रोड मैप की अवधि (2017–22) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राज्य योजनान्तर्गत कार्यशील पूँजी हेतु ऋण राशि रू॰ 800.00 (आठ सौ) करोड़ पूर्व निर्धारित/संशोधित वार्षिक ब्याज दर एवं अन्य शर्तों पर स्वीकृत करने के संबंध में।

कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने एवं उनके उत्पाद को खुले बाजार में अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बिक्री (Distress Sale) को रोकने के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को विगत कृषि रोड मैप (2012–17) में कार्यशील पूँजी हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 800.00 (आठ सौ) करोड़ रूपये की ऋण इस शर्त पर स्वीकृत की गयी थी कि इस कार्यशील पूंजी से बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ द्वारा पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को 11% प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इसका वर्षवार चक्रीय उपयोग कर अधिप्राप्ति कार्य के लिए एक कारगर एवं स्थायी व्यवस्था विकसित की जा सके। इस स्वीकृत ऋण के विरूद्ध बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 600.00/– (छः सौ) करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जा चूका है। विभागीय संकल्प संख्या–2394 दिनांक–20.07.2018 के अनुसार भविष्य में दी जाने वाली ऋण राशि के लिए वार्षिक ब्याज दरों को क्रमशः 07 प्रतिशत, 7.25 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त विभाग के परामर्शानुसार पूर्व प्रदत ऋण की राशि पर ब्याज दर पूर्व के अनुसार 9 प्रतिशत लागू रहेगा।

2. खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिप्राप्ति की भूमिका भविष्य में बने रहने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं लक्ष्य में वृद्धि को देखते हुए कुल रू॰ 800.00/– (आठ सौ) करोड़ की कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की इस व्यवस्था को नई कृषि रोड मैप की अवधि (2017–22) में भी बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यशील पूँजी पूर्व ऋण राशि सहित कुल रू॰800.00/– (आठ सौ) करोड़ तक ही अधिसीमित होगी और पूर्व की बकाया ऋण (Outstanding loan) के वापस भुगतान की स्थिति में समतुल्य राशि नए ऋण के रूप में भुगतेय हो सकेगा जो विभागीय संकल्प संख्या–2394 दिनांक–20.07.2018 में निर्धारित संशोधित ब्याज दर पर होगा। इस प्रकार बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ द्वारा नए ऋण राशि पर भारित ब्याज को अद्यतन संशोधित दर पर और पूर्व की बकाया ऋण पर भारित ब्याज को पूर्व निर्धारित दर पर प्रतिवर्ष खरीफ एवं रब्बी विपणन मौसम के समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को वापस भुगतान करना अनिवार्य होगा।

3. राज्य सरकार को उपर्युक्त राशि की वापसी राज्य खाद्य निगम से धान के CMR की बिक्री से प्राप्त प्रति जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये गये भुगतान से की जायेगी। प्रत्येक विपणन मौसम की समाप्ति के उपरान्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ द्वारा राशि की वसूली की जायेगी।

4. अतएव कृषि रोड मैप की अवधि (2017–22) में न्यूनतम समर्थन पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राज्य योजनान्तर्गत कार्यशील पूँजी हेतु ऋण राशि रू॰ 800.00 (आठ सौ) करोड़ की अधिसीमा में पूर्व निर्धारित/संशोधित वार्षिक ब्याज दर एवं अन्य शर्तों पर स्वीकृत की जाएगी।

5. मंत्रिपरिषद की दिनांक– 31.07.2018 को बैठक में मद संख्याः– 06 में सन्निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

6. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ के द्वारा उक्त राशि का उपयोग अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा–निर्देश लागू होगा।

8. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जाएगा।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक : 06/पणन (स॰)–07/2014/पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक : 2638/पटना, दिनांक : 07.08.18

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/18
7-8-18

सरकार के अपर सचिव।